



राजस्थान अपील प्राधिकारी, पाली

0

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान अधिनियम 1956 की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज मू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 865/2016 में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम खिवान्दी के खसरा नम्बर 847 रकबा 0.04 हेक्टेयर किस्म गौमो माखर की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के सम्बन्ध में नोटिस जारी किया तथा दिनांक 16.09.2016 को तारीख पेशी नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 27.12.2016 को आदेश पारित करते हुए धारा 91 (2) के तहत पश्चातवर्ती अधिकरण मानते हुए अपीलान्त पर पुर्नाना आरोपित किया तथा साथ ही तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत किस्ती प्रकार की जांच नहीं की गई कि अपीलान्त पश्चातवर्ती अधिकारी की श्रेणी में परिवर्तित होता है अथवा नहीं ? तथा न ही इस प्रकार के कोई साक्ष्य सफल ही पत्रावली पर उपलब्ध थे। इस सम्बन्ध में न तो पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किसे गये तथा न ही किस्ती प्रकार के साक्ष्य प्रदर्शित हुए। अपीलान्त को समर्पित सुनवाई का अवसर दिये बिना पश्चातवर्ती अधिकारी मानते हुए और अपील आदेश के जारिये अपीलान्त को तीन माह के सिविल कारावास का दण्ड दिया गया है, जो विधि विरुद्ध है। पश्चातवर्ती अधिकारी उसे माना जाता है, जिसके विरुद्ध पूर्व में अतिक्रमण करने बाबत प्रकरण चला ही। अपीलान्त के विरुद्ध पूर्व में कोई प्रकरण नहीं चला था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरुद्ध रूप से और अपील आदेश पारित किया गया है। खसरा नम्बर 844 की भूमि, जिसके भाग पर अपीलान्त का कब्जा बलाया गया है, उस सम्पूर्ण भूमि में आबादी बस चुकी है, लोगों के पक्के मकानात स्थित है, जिसमें विद्वित व पानी के कनेक्शन लिये गए हैं। इस प्रकार प्रकरण नियमितिकरण योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन सम्पत्तियों को नजर अन्तर्गत करते हुए और अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरुद्ध है।

विद्वान अधिष्ठापक अपीलान्त ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

उपस्थित :- श्री दीपाराम परमार, विद्वान अधिष्ठापक अपीलान्त सरकारी वकील, देल्हाई की ओर से

राजस्थान अपील : 55/2017

अपीलान्त जवानसिंह पुत्र जीवन्सिंह जाति राजपूत निवासी खिवान्दी तहसील सुमेरपुर

बनाम सरकार जारिये अधिष्ठापक तहसीलदार सुमेरपुर

देल्हाई :-

न्यायालय राजस्थान अपील प्राधिकारी, पाली

पीठाधीन अधिकाारी : डॉ० बजरंगसिंह बाहिन, आर.ए.एस.

दिनांक:- 18.12.17

प्रक्रिया की कोई समीक्षा नहीं तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलापट अपने परिवार में कमाने वाला अकेला व्यक्ति है, जिसने निकट रखा जाता है, तो उसके परिवार की दुर्दशा ही जायेगी। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार करवा एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावे।

सरकारी प्रेकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खिवान्दी के खसरा नम्बर 847 रकबा 0.04 हैक्टयर किस्म गी0म0 माखर की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का खिवान्दी द्वारा तहसीलदार सुंमरपुर के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि जवानसिंह पुत्र जवानसिंह काम राजपूत द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा किया है, इस पर तहसीलदार सुंमरपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 16.09.2016 को तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलापट के कर्तव्य के सदस्य से तामील करवाया गया है, जिसकी पालना में नियत तारीख पेशी को अपीलापट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। इस प्रकार तामील को विधिवत तामील मानते हुए धार बार पक्ष प्रस्तुत करने का समर्थित अवसर प्रदान किया था, किन्तु अपीलापट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्यक रूप से उपस्थित ही नहीं हुआ तथा न ही किसी प्रकार से जवाब अथवा दस्तावेज आदि प्रस्तुत किये। प्रकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलापट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण अपीलापट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलापट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।
 2016 तथा तहसीलदार सुंमरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 865/2016 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2016 दिनांक 09.03.2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।
 निर्णय आज दिनांक 18.12.17 को सेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद तहसीलदार कर खर्चे न्यायालय में सुनाया गया।



राजस्थान अपील न्यायालय, जयपुर
 (जै0 भा0 जवानसिंह चौहान)

(Handwritten signature)